

तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

दिनांक 23.11.17

मि.न.167/17

सरकार बनाम योगेन्द्र वगैरे

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्मत 2074 में वाके ग्राम केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 534रकबा 0.06है0 किस्म जमीन गै0मु0रास्ता में से0.06 है0 पर योगेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह प्रेम सिंह पुत्रान बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित आये तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्ध होता है । इस लिये गैर सायल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः योगेन्द्र सिंह, सुरेन्द्र सिंह प्रेम सिंह पुत्रान बख्तावर सिंह जाति राजपूत निवासी केशवाना राजपूत तहसील कोटपूतली को वाके ग्रम केशवाना राजपूत के आ0ख0न0534/0.06है0किस्म गै0मु0रास्ता पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.12रू का पचास गुणा 6रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(M)

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

20017-1 के श. स. 4
पृष्ठ संख्या 77 पर 0.20...
लिखा जाये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली